61/16

हस्ताक्षर

135

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 887–तीन/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–12–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 210/2014–15/अपील.

सलीम मोहम्मद पिता स्व. मोहम्मद शाह
निवासी ग्राम कालुखेड़ा
तहसील पिपलौदा जिला रतलाम ....आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
जावरा जिला रतलाम
2– गुलशन बी पिता स्व. मोहम्मद शाह (फकीर)
पति रोशन शाह निवासी ग्राम चिकलाना
तहसील पिपलौदा जिला रतलाम
3– हसीना बी पिता स्व. मोहम्मद शाह
पति छोट शाह (फकीर)
4– जरीना बी पिता स्व. मोहम्मद शाह
पति ईशाक शाह (फकीर)
निवासीगण ग्राम मण्डावल
तहसील ताल जिला रतलाम
5– शकुरन बी बेवा वली मोहम्मद शाह
निवासी ग्राम कालुखेड़
तहसील पिपलौदा जिला रतलाम ....अनावेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी,, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती नीना पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक क. 1
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क. 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में 'संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 5 शकुरन बी द्वारा मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाईन में शिकायत पीजी/146488/2011 द्वारा इस आशय की शिकायत की गई कि आवेदक सलीम मोहम्मद निवासी ग्राम कालुखेड़ा द्वारा सर्वे कमांक 957 रकबा 0.120 हेक्टेयर में से रकबा 0.052 हेक्टेयर का फर्जी पट्टा तैयार करवा कर राजस्व अधिकारियों से सांठ–गांठ कर रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया गया है । उक्त शिकायत के संबंध में तहसीलदार, पिपलौदा द्वारा प्रकरण कमांक 1227/बी–121/10–11 दर्ज कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत कथित पट्टा के संबंध में नायब तहसीलदार, जावरा एवं तहसीलदार, जावरा से प्रकरण एवं दायरों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें पाया गया कि कथित प्रकरण कमांक 18/अ–19/88–89 दायर ही नहीं हुआ है, और न ही प्रकरण का अस्तित्व है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा कथित पट्टे के आधार पर की गई प्रविष्टि को फर्जी होने से निरस्त किये जाने संबंधी प्रतिवेदन दिनांक 7–1–13 को अनुविभागीय अधिकारी, जावरा को प्रेषित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 13/अ–74/बी–121/12–13 दर्ज कर प्रतिवेदन दिनांक 9–1–2013 द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम को प्रतिवेदित किया गया कि आवेदक के पिता मोहम्मद को दिया गया पट्टा फर्जी होने से प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया जाना उचित होगा । कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर प्रकरण कमांक 22/स्वमेव निगरानी/2012–13 दर्ज कर दिनांक 30–12–2014 को आदेश पारित कर पट्टा फर्जी होने से इसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में की गई समस्त प्रविष्टियों को निरस्त करते हुए वर्ष 1987–88 के पूर्वानुसार प्रविष्टियां अंकित किये जाने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–12–15 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्कों पर कोई विचार नहीं किया गया है। यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 49 (3) को अनदेखा कर स्वयं

अतिरिक्त साक्ष्य लिये बिना पट्टा जारी करने का दायरा रजिस्टर का बिना अवलोकन किये एवं बिना रिकार्ड बुलाये मात्र प्रतिवेदनों के आधार पर तथ्य संबंधी निष्कर्ष देने में गंभीर कानूनी भूल की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा जिस दायरा पंजी को आधार बनाकर आदेश पारित किया गया है, वह दायरा पंजी तलब ही नहीं की गई है, और न ही तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दायरा पंजी का अवलोकन किया गया है, क्योंकि पट्टा जारी करने का प्रकरण कमांक 18/अ–19/88–89 में पंजी कमांक 18 है तथा प्रकरण का शीर्ष अ–19 वर्ष 1988–89 है । ऐसी स्थिति में यदि वर्ष 1988–89 की पंजी में कमांक 18 पर यदि पट्टेदार मृतक मोहम्मद शाह का प्रकरण नहीं पाया गया तो कौन सा प्रकरण कमांक किस नाम से दर्ज है, इसका उल्लेख भी तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों में नहीं है, अतः कलेक्टर द्वारा काल्पनिक तौर पर बिना मस्तिष्क का उपयोग किये आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष दायरा पंजी तलब किये जाने हेतु व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 11 नियम 12 एवं संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कोई विचार नहीं किया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर के समक्ष अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 पक्षकार थे, किन्तु उन्हें बिना सूचना पत्र की तामीली कराये, आदेश पारित करने में कलेक्टर द्वारा अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1988–89 में व्यवस्थापन के तहत पट्टा दिया गया है, जिसके संबंध मे दुर्भावनापूर्वक की गई शिकायत के आधार पर मृतक पट्टेदार के वारिसान के विरूद्ध वर्ष 2012 में 23 वर्ष पश्चात प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर पट्टा निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है, और कलेक्टर के विधि विपरीत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी भूल की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर विधिवत आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा जिस कथित प्रकरण से पट्टा जारी किया जाना बतलाया जा रहा है, वह प्रकरण न

तो पंजीबद्ध हुआ है, और न ही उसका अस्तित्व है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर अपने आदेश में विस्तृत विवेचना करते हुए स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाकर पट्टा निरस्त करने में विधिसम्मत कार्यवाही की गई है, और कलेक्टर के विधिसम्मत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक को पट्टा दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण दायरे में दर्ज होना नहीं पाया गया है, इससे यह स्पष्ट है कि आवेदक के पक्ष में जारी पट्टा फर्जी है । इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि की नोईयत खाद के गड्ढे के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, और प्रश्नाधीन भूमि की नोईयत परिवर्तित भी नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर आदेश पारित करते हुए पट्टा फर्जी मान्य की जाकर प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखों में की गई प्रविष्टियां निरस्त करते हुए पूर्व की प्रविष्टियां अंकित किये जाने के आदेश देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर